

शपथ अथवा प्रतिज्ञान का फार्म

[भारत के संविधान का अनुच्छेद 173{क}]

{राज्य के विधान मण्डल हेतु निर्वाचन के लिये अभ्यर्थी द्वारा भरा जाने वाला}

मैं जो विधानसभा {अथवा विधान परिषद्} में एक स्थान को भरने के लिये अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ/सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा और मैं भारत की संप्रभुता और अखण्डता को अक्षुण्ण रखूँगा।

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
और स्पष्ट अक्षरों में नाम)

श्री/श्रीमती ने आज दिनांक {माह} 200 को {स्थान} पर बजे मेरे समक्ष ईश्वर की शपथ ली/सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान किया।

{प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर}
नाम, पदनाम और मुहर

शपथ प्रपत्र की प्राप्ति के लिये प्रमाण-पत्र

(प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा अभ्यर्थी को दिया जाएगा)

प्रमाणित किया जाता है कि विधानसभा {अथवा विधान परिषद्} के निर्वाचन के लिये अभ्यर्थी {नाम} ने {दिनांक} को बजे मेरे कार्यालय में मेरे समक्ष भारत के संविधान द्वारा यथा अपेक्षित शपथ ली/प्रतिज्ञान किया और उस पर हस्ताक्षर किये।

{प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर}
नाम, पदनाम तथा मुहर

* जो लागू न हो उसे काट दें।